(16)

संख्याः 06/P/XXIV-3/12/02(71)/2006

प्रेषक,

पी0एस0जंगपांगी,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 24 दिसम्बर, 2012

विषयः **वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुसूचित जाति उप योजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत रा0इ0का0 पांगू, एवं रा0उ0मा0वि0 गांधीनगर जनपद पिथौरागढ़ के चालू भवन निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5ख(2)/27165/एस0सी0एस0पी0/2012–13 दिनांकः 12 जुलाई, 2012 के संबंध में तथा शासनादेश संख्या 370/XXIV-3/07/02(71)/2006 दिनांकः 15.12.2006 एवं शासनादेश संख्याः 2103 /XXIV–3/07/ 02 (71)2006 दिनांकः 20.03.2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–1 में उल्लिखित (01) राजकीय इण्टर कॉलेज तथा (01) रा0उ0मा0वि0 के भवन निर्माण कार्यों हेतु स्तम्भ–2 में उल्लिखित आगणन की अनुमोदित औचित्यपूर्ण लागत के सापेक्ष स्तम्भ–3 में अंकित पूर्व में स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुये स्तम्भ–5 पर अंकित विवरणानुसार कुल अवशेष रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि को प्रश्नगत योजनान्तर्गत आपके निर्वतन पर रखते हुये नियमानुसार व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैंः

(धनराशि लाख रू0 में)

विद्यालय का नाम	मूल आगणन की टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत लागत	स्वीकृत धनराशि	व्ययित धनराशि	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5
1– राजकीय इण्टर कॉलेज पांगू पिथौरागढ़।	105.10	35.10 40.00	75.10	30.00
2– राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर, पिथौरागढ़।	66.30	26.30 20.00	46.30	20.00
कुल योग	171.40		121.40	50.00

1. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

क्रमशः–2–

2. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, इनकी न्यूनतम बाजार भाव के आधार पर स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है एवं स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

4. उपयोग में लाने से पूर्व निर्माण सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय। साथ ही कार्य की गुणवत्ता पूर्णतः सुनिश्चित की जाय।

5. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था एवं उनके अधिशासी अभियंता/अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6. कार्य सम्पादित करने तथा सामग्री क्रय करने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में उल्लिखित सुसंगत नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय।

7. कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व उक्त कार्य के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था से वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 475/XXVII(07)2008, दिनांकः 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित कर लिया जाय।

8. कार्य कराने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य किया जाय।

9. उक्त विद्यालय के भवन निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अपेक्षित वित्तीय/भौतिक प्रगति हेतु निरंतर अनुश्रवण कर कार्य पूर्ण कराया जाय ।

10. कार्य में अब तक हुए विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।

11. भूमि हस्तान्तरित न होने पर भी द्वितीय किश्त जारी करने हेतु भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।

12. धनराशि कार्यदायी संस्था पर अनुपयोगी पड़े रहने के दृष्टिगत उसके सापेक्ष ब्याज आगणित कर जमा कराया जाय। तदोपरान्त ही वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित की जाय।

13. कार्यों को अब समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाय जिस हेतु सघन/नियमित अनुश्रवण किया जाय।

14. अब तक स्वीकृत/निर्माणधीन कार्यों में जहां भूमि अप्राप्त हो अथवा कार्य प्रारम्भ न हुआ हो उसकी सूची बनाकर अवमुक्त धनराशि जमा की जाय।

15. भविष्य के बजट मैनुअल/सामान्य वित्तीय अनुशासन के दृष्टिगत उपलब्ध बजट से सर्वप्रथम पुराने चालू कार्य पूर्ण कराये जाए तथा नये कार्य सीमित संख्याः में (उपलब्ध बजट के 20% से कम) स्वीकृत किये जाए।

2. उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहॉ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

क्रमशः–3–

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–30 के अधीन लेखा शीर्षक 4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 00–आयोजनागत, 202–माध्यमिक शिक्षा, 02–अनु0सू0जा0 के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, 0201–अ0सू0जा0 बाहुल्य क्षेत्रों में रा0हा0, इ0कालेजों के भवनहीन भवनों का निर्माण, 24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 155 (P)/XXVII(3)/2012–13 दिनांकः 12 दिसम्बर 2012 प्राप्त व्यवस्थानुसार निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 06/P/XXIV-3/12/02(71)/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
6. अपर शिक्षा निदेशक, कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
7. जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
11. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. रक्षित पत्रावली।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव

13/12/12